न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 115/2022 दायर दिनाँक 11.04.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनी पुत्री रामदयाल व पत्नि रामनिवास जाति साद निवासी आलसर हाल निवासी तीतरी तहसील लाडनुं जिला नागौर, राजस्थान 2. मनोहरी पुत्री रामदयाल व पत्नि पूर्णमल जाति साद निवासी आसलसर हाल निवासी हरिपुरा वार्ड नं0 22 लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0। 3. कमला पुत्री रामदयाल व पत्नि नन्दलाल जाति साद निवासी आसलसर हाल निवासी झाझड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान 4. जीवणी धर्म पत्नि रामदयाल कौम साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान 2. भंवर लाल पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 3. रामगोपाल पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान 4. रामनिवास पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 5. रामेश्वर लाल पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 6. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धनकोली (भारतीय स्टेट बैंक) 7. तहसीलदार डीडवाना। 8. उप पंजीयक मौलासर

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री चैनाराम थोरी, मुकेश थोरी वकील वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **17.08.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण सं0 1 ता 3 के पिता व 4 के पति तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता रामदयाल के नाम से राजस्व भूमि का खेत खसरा 64 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 65 रकबा 6.4200 हैक्टे0, कुल खसरा सं0 02 कुल रकबा 6.4600 हैक्टे0 (जिसके पुराने खसरा सं0 27 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा) पटवार हल्का दाऊदसर ग्राम आसलसर में अवस्थित है।

यह है कि रामदयाल का स्वर्गवास दिनांक 25.01.1980 को हो गया। उसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 8 व उससे सम्बन्धित वर्णित अनुसूची के अनुसार उक्त मृतक रामदयाल की पत्नि जीवणी तीनो पुत्रियां (मनोहरी, रतनी, कमला) व पुत्रगण जगदीश प्रसाद, भंवरलाल, रामगोपाल, रामनिवास, रामेश्वरलाल के नाम नामान्तरणकरण होना चाहिये था। जिससे प्रत्येक पुत्र, पुत्री व पत्नि जीवणी की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। अर्थात [illegible] खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु रामद[illegible] पश्चात उक्त खेतो की खातेदारी मात्र उसके पांच पुत्रों के [illegible] वादीगण के नाम भी अर्थात प्रत्येक वादीगण के नाम [illegible] होनी चाहिये थी। उक्त प्रतिवा[illegible] सं0 1 ता 5 ने राजस्व [illegible] से दुर्भि संधि करके अथवा उनको पुरी [illegible] केवल रामदयाल के पांचो पुत्रो अर्थात प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपने नाम से गल[illegible] से खातेदारी दर्ज करवा ली। जबकि उक्त सभी सम्बन्धित पक्षकारो अर्थात रामदयाल के प्रत्येक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विधिक उत्तराधिकारीगण का वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित भूमियों में संयुक्त कब्जा काश्त व संयुक्त अधिकार विद्यमान है।

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है :–

1. यह है कि वाके सरहद ग्राम आसलसर पटवार हल्का दाउसर भू–अभिलेख क्षेत्र धनकोली में अवस्थित उक्त विवादित भूमि खसरा सं0 64 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 65 रकबा 6.4200 हैक्टे0 कुल रकबा 6.4600 हैक्टे (पुराना खसरा सं0 27 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा) की वर्तमान खातेदारी से इस रूप में प्रतिवादीगण का उक्त भाग व हिस्से से नाम हटाया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता व वादीनी सं0 4 के पति रामदयाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक की 1/9–1/9 भाग की खातेदारी दर्ज की जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के विरूद्ध पारित करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 04, 05 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया।जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रति0 सं0 02, 03, 07, 08, 09 बावजुद सूचना के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक–पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्यवादी हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – नामान्तरकरण पंजिका ग्राम आसलसर तहसील डीडवाना, प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2037–40, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2033–2037, प्रदर्श–4 वारिस प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2073–2076, प्रदर्श–6 ट्रेस नक्शा, प्रदर्श–7 ट्रेस नक्शा प्रदर्शित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद ग्राम आसलसर पटवार हल्का दाउसर भू–अभिलेख क्षेत्र धनकोली में अवस्थित उक्त विवादित भूमि खसरा सं0 64 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 65 रकबा 6.4200 हैक्टे0 कुल रकबा 6.4600 हैक्टे (पुराना खसरा सं0 27 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा) की वर्तमान खातेदारी से इस रूप में प्रतिवादीगण का उक्त भाग व हिस्से से नाम हटाया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता व वादीनी सं0 4 के पति रामदयाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक की 1/9–1/9 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 17.08.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 115/2022 दायर दिनाँक 11.04.2022

वादी

1. रतनी पुत्री रामदयाल व पत्नि रामनिवास जाति साद निवासी आलसर हाल निवासी तीतरी तहसील लाडनुं जिला नागौर, राजस्थान
2. मनोहरी पुत्री रामदयाल व पत्नि पूर्णमल जाति साद निवासी आसलसर हाल निवासी हरिपुरा वार्ड नं0 22 लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0।
3. कमला पुत्री रामदयाल व पत्नि नन्दलाल जाति साद निवासी आसलसर हाल निवासी झाझड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान
4. जीवणी धर्म पत्नि रामदयाल कौम साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान
2. भंवर लाल पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान
3. रामगोपाल पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान
4. रामनिवास पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान
5. रामेश्वर लाल पुत्र रामदयाल जाति साद निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान
6. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धनकोली (भारतीय स्टेट बैंक)
7. तहसीलदार डीडवाना।
8. उप पंजीयक मौलासर

दावा बाबत्

बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री चैनाराम थोरी, मुकेश थोरी वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **17.08.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण सं0 1 ता 3 के पिता व 4 के पति तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता रामदयाल के नाम से राजस्व भूमि का खेत खसरा 64 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 65 रकबा 6.4200 हैक्टे0, कुल खसरा सं0 02 कुल रकबा 6.4600 हैक्टे0 (जिसके पुराने खसरा सं0 27 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा) पटवार हल्का दाऊदसर ग्राम आसलसर में अवस्थित है।

यह है कि रामदयाल का स्वर्गवास दिनांक 25.01.1980 को हो गया। उसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 8 व उससे सम्बन्धित वर्णित अनुसूची के अनुसार उक्त मृतक रामदयाल की पत्नि जीवणी तीनो पुत्रियां (मनोहरी, रतनी, कमला) व पुत्रगण जगदीश प्रसाद, भंवरलाल, रामगोपाल, रामनिवास, रामेश्वरलाल के नाम नामान्तरणकरण होना चाहिये था। जिससे प्रत्येक पुत्र, पुत्री व पत्नि जीवणी की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। अर्थात प्रत्येक का 1/9 – 1/9 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु रामदयाल की मृत्यु के पश्चात उक्त खेतो की खातेदारी मात्र उसके पांच पुत्रों के नाम ही दर्ज है जबकि चारों वादीगण के नाम भी अर्थात प्रत्येक वादीगण के नाम ... रूप से दर्ज होनी चाहिये थी। उक्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने ... कर्मचारियों से दुर्भि संधि करके अथवा उनको पुरी जानकारी नहीं देकर ... पांचो पुत्रों अर्थात प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपने नाम ... से खातेदारी दर्ज करवा लो। जबकि उक्त सभी सम्बन्धित पक्षकारो अर्थात रामदयाल के प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विधिक उत्तराधिकारीगण का वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित भूमियों में संयुक्त कब्जा काश्त व संयुक्त अधिकार विद्यमान है।

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है :–

1. यह है कि वाके सरहद ग्राम आसलसर पटवार हल्का दाउसर भू–अभिलेख क्षेत्र धनकोली में अवस्थित उक्त विवादित भूमि खसरा सं0 64 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 65 रकबा 6.4200 हैक्टे0 कुल रकबा 6.4600 हैक्टे (पुराना खसरा सं0 27 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा) की वर्तमान खातेदारी से इस रूप में प्रतिवादीगण का उक्त भाग व हिस्से से नाम हटाया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता व वादीनी सं0 4 के पति रामदयाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक की 1/9–1/9 भाग की खातेदारी दर्ज की जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के विरूद्ध पारित करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 04, 05 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया।जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रति0 सं0 02, 03, 07, 08, 09 बावजुद सूचना के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक–पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्यवादी हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – नामान्तरकरण पंजिका ग्राम आसलसर तहसील डीडवाना, प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2037–40, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2033–2037, प्रदर्श–4 वारिस प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2073–2076, प्रदर्श–6 ट्रेस नक्शा, प्रदर्श–7 ट्रेस नक्शा प्रदर्शित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद ग्राम आसलसर पटवार हल्का दाउसर भू–अभिलेख क्षेत्र धनकोली में अवस्थित उक्त विवादित भूमि खसरा सं0 64 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 65 रकबा 6.4200 हैक्टे0 कुल रकबा 6.4600 हैक्टे (पुराना खसरा सं0 27 रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा) की वर्तमान खातेदारी से इस रूप में प्रतिवादीगण का उक्त भाग व हिस्से से नाम हटाया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता व वादीनी सं0 4 के पति रामदयाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक की 1/9–1/9 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती हैं।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनाँक 17.08.[illegible] ...ऐ इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:28 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner